संख्या-12/2017/523/30-3-17-64एम/2012

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ खॉ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 31 मार्च, 2017

विषय : रायबरेली में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1676स0सु0/2016-75टीआर/।2009, दिनॉक 15-11-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रायबरेली में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च की स्थापना हेतु सिविल कान्स्ट्रक्शन कार्य के लिये द्वितीय किस्त के रूप में भारत सरकार से प्राप्त धनराशि रू0 497.50 लाख (रू0 चार करोड़ सत्तानवे लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित रायबरेली में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च की स्थापना की योजना हेतु भारत सरकार द्वारा कुल लागत रू0 14.35 करोड़ स्वीकृत की गयी धनराशि को 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रू0 17.00 करोड़ किये जाने की संस्तुति की गयी है। उक्त योजना के अन्तर की धनराशि रू0 294.78 लाख का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। भारत सरकार के पत्र संख्या-आरटी-25036/09/2007-आर0एस0, दिनॉक 09-09-2016 द्वारा सिविल कान्स्ट्रक्शन कार्य के लिये धनराशि रू0 497.50 लाख (रू0 चार करोड़ सत्तानवे लाख पचास हजार मात्र) स्वीकृत एवं एन0एफ0टी0 के माध्यम से प्राप्त धनराशि को राजकोष में चालान संख्या-जे0 30004, दिनॉक 05-01-2017 को जमा किया गया है।

3- रायबरेली में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च की स्थापना के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1472/30-3-14-64एम/2012, दिनॉक 09-06-2014 निर्गत किया गया है, जिसमें इस संबन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निहित हैं। इन दिशा-निर्देशों के बिन्दु संख्या-4 के अनुसार संस्थान के संचालन एवं प्रबंधन हेतु टाटा मोटर्स एवं उत्तर प्रदेश सरकार एक सोसायटी गठित करेंगे तथा इस सोसायटी में उभयपक्ष परस्पर सहमति से सदस्य नामित करेंगे तथा बिन्दु संख्या-8 में यह व्यवस्था दी गयी है कि इस संस्थान की स्थापना हेतु आवश्यक स्वीकृतियॉ एवं अनुमोदन राज्य सरकार सोसायटी को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रायबरेली में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च की स्थापना के सम्बन्ध में सिविल कान्स्ट्रक्शन कार्य कराये जाने हेतु द्वितीय किस्त के रूप में भारत सरकार के पत्र संख्या-आरटी-25036/09/2007-आर0एस0, दिनॉक 09-09-2016 द्वारा सिविल कान्स्ट्रक्शन कार्य के लिये धनराशि रू0 497.50 लाख (रू0 चार करोड़ सत्तानवे लाख पचास हजार मात्र) स्वीकृत एवं एन0एफ0टी0 के माध्यम से प्राप्त राजकोष में चालान संख्या-जे0 30004, दिनॉक 05-01-2017 को जमा की गयी धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) रायबरेली में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च की स्थापना के संबंध में जारी किये गये शासनादेश संख्या-1472/30-3-14-64एम/2012, दिनॉक 09-06-2014 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) प्रश्नगत संस्थान की स्थापना हेतु गठित सोसायटी के अनुमोदनोपरान्त धनराशि को व्यय किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी। आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करा लिया जायेगा। साथ ही विशिष्टियॉ, मानक एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। परिवहन आयुक्त तथा टाटा मोटर्स के अधिकारी समय-समय पर कार्य का निरीक्षण करते रहेंगे व सामान्य पर्यवेक्षण करते हुए कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करायेंगे। कराये जा रहे कार्यों की वर्तमान में तथा भविष्य में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, यह भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र सोसायटी से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्ष "4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित किये गये आदेशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

संख्या-12/2017/523(1)/30-3-2017, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- अवर सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ), परिवहन भवन, 01 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को उनके पत्र संख्या-आरटी-25036/09/2007-आर0एस0, दिनॉक 09-09-2016 के क्रम में।
6- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in